2010/00008

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 55/2010 (प्रार्थना पत्र)

उनवान:

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

नन्ददास आत्मज रघुनाथ दास जाति बैरवा निवासी खेड़ली पुरोहित कोटा [illegible] (अप्रार्थी)

उपस्थित :- 1. श्री गोविन्द सिंह (राजकीय अभिभाषक)
2. श्री मोहनलाल राव (अभिभाषक अप्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत के नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 सपठित मीडियम माइनर आवंटन नियम 1968

निर्णय दिनांक : 09.12.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि अप्रार्थी नंद दास पुत्र रघुनाथ दास को ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नं0 200 रकबा 10 बीघा भूमि दिनांक 17.01.83 को आलनियां कमाण्ड की मीमतन राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 एवं मीडियम माइनर आवंटन नियम 1968 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन की गई थी । उक्त आवंटन की गई भूमि के नये खसरा नं0 389/1 रकबा 0.50 है0 व 390 रकबा 1.11 है0 कायम हुए है । राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन की शर्त संख्या 14 (3) के अनुसार आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष मे 50% क्षेत्रफल दूसरे वर्ष मे शेष क्षेत्रफल पर काश्त करनी अनिवार्य थी । आवंटी द्वारा उसे आवंटित भूमि को आवंटन की तिथि तथा कब्जा प्राप्ति तिथि से आज तक कृषिमय नही किया गया है । अप्रार्थी उस गांव का रहने वाला नही है । मौके पर आज भी भूमि पर उसका कब्जा नही है तथा आवंटित भूमि की कीमत राशि भी उसके द्वारा जमा नही कराई गई है । आवंटन शर्तो की पालना नही की है । ऐसी स्थिति मे आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जावे ।

2. उक्त प्रार्थना पत्र पर न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 13.08.2007 द्वारा आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने, राशि जमा नही करने तथा आवंटन नियमों के नियम 14 (3) की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन निरस्त कर दिया गया जिसके खिलाफ आवंटी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील पेश की गई । राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा निर्णय दिनांक 22.09.2008 में न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा धारा 188 आर.टी. एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत दावे के निर्णय दिनांक 19.05.1988 जिसमें अतिक्रमी देवा पुत्र माधो को विवादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार की दाखलत व मजामहत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त निर्णय की अपील खारिज की गयी देवा द्वारा अपीलांट के आवंटन को निरस्त करने बाबत अतिरिक्त

जिला कलक्टर न्यायालय में पेश प्रार्थना–पत्र संख्या 6/98 न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.1999 को खारिज करना, तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अतिक्रमी देवा पुत्र माधो द्वारा धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज करने तथा उसकी अपील न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 05.12.1995 को खारिज करने व आवंटी द्वारा अतिक्रमियों को कब्जे से बेदखल करने से संबंधित विवाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के आधार पर न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2007 निरस्त किया तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रति–प्रेषित किया ।

3. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 22.09.2008 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बहस उभयपक्ष की सुनी गई । प्रार्थी की ओर से बहस में निवेदन किया कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्त संख्या 14 (3) की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटन निरस्त किया जावे । अप्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर आवंटन बहाल रखने का निवेदन किया । तथा पक्ष के समर्थन मे न्यायिक दृष्टान्त 2016 (1) CDR 518(Raj.) (DB) page 518 & RRD 1982 Page 441 पेश किये गये ।

4. पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया । अप्रार्थी नंद दास पुत्र रघुनाथ दास को ग्राम प्रहलादपुरा स्थित आराजी ख0नं0 200 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 13.01.1983 को किया गया । उक्त आराजी के नवीन ख0नं0 389/1 रकबा 0.50 है0 व 390 रकबा 1.11 है0 कायम हुये है। । उक्त आवंटित भूमि पर देवा पुत्र माधो का कब्जा होने के कारण अप्रार्थी द्वारा निर्धारित राशि जमा नहीं करने , आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा भूमि में काश्त नहीं करने के तथ्य न्यायसंगत होना साबित होते हैं । चूंकि अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आवंटी नंद दास पुत्र रघुनाथ दास द्वारा भूमि पर कब्जाकाश्त नहीं होने तथा भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत व दूसरे वर्ष में शेष भूमि पर कृषि नही करने के आधार पर आवंटन खारिज करने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया था तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त आधार पर आवंटन खारिज किया जाना विधिसम्मत होना नहीं माना जो अप्रार्थी नंद दास पुत्र रघुनाथ दास द्वारा प्रस्तुत किया गया, दस्तावेजों से भी साबित होता हैं ।

5. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पेश किया गया प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता है कि आवंटी को ख0नं0 200 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन दिनांक 13.01.1983 को किया गया । जिसके नवीन ख0नं0 389/1 रकबा 0.50 है0 व 390 रकबा 1.11 है0 कायम हुये है पर किसी व्यक्ति का अवैध कब्जा हो तो उसे नियमानुसार बेदखल किया जावे तथा विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में अग्रिम कार्यवाही की जाये।

6. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा

नोट - अप्रार्थी नन्दलाल की मृत्यु हो जाने आर्डरशीट दि० 9/9/15 से कम्प्यूटर रेकार्ड पर लिखा जा चुका है। संशोधित टाईटल प्रस्तुत नहीं होने से कम्प्यूटर अंकित नहीं हो सके। वकील अप्रार्थी द्वारा संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने पर मृतक नन्दलाल के वारिसान अंकित किये गये हैं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा (राज०)